कार्यालय अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्र सं0 : 1701 / शैक्षिक / 2020 **दिनांकः 22.12.2020**

:: आवश्यक सूचना ::

विषय : शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किये जाने के संदर्भ में।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये जिनके पिता / माता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन छात्रों के पिता / माता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक है, शैक्षिक स्तर सुदृढ़ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना चलाई जाती है। उक्त योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020–21 में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :

1. छात्रवृत्ति के लिये वेबसाइट **http://scholarship.up.gov.in** पर आवेदन किया जाना है, जिसके लिये **शासन द्वारा पूर्व में घोषित अन्तिम तिथि को बढ़ाकर दिनांक 10.01.2021** कर दी गई है।

2. छात्रों के आधार नम्बर का ऑथन्टिकेशन (मिलान) होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था है जिसमें छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, लिंग व जन्मतिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से ऑनलाइन किया जायेगा तथा आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त ही छात्र द्वारा आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकेगा।

3. छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने के इच्छुक सभी छात्र अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नम्बर एवं बैंक खाते से लिंक करा लें। नवप्रवेशित छात्र टोटल फीस से रू0 5000 / – कम करके नॉन रिफन्डेबल फीस भरें। प्रथम वर्ष के छात्रों को इन्रोलमेन्ट नं0 भरना जरूरी नहीं है।

4. छात्रों द्वारा ऑनलाइन सबमिट किये गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट निम्नलिखित अभिलेखों सहित **अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रियाकलाप, एच0बी0टी0यू0, नवाबगंज, कानपुर–208002 के पते पर विलम्बतम दिनांक 14.01.2021** तक रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये जायेंगे। उक्त तिथियों के पश्चात छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

   (क) सक्षम स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र एवं इन्टरनेट से सत्यापन की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

   (ख) जाति प्रमाण पत्र एवं इन्टरनेट से सत्यापन की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

   (ग) पिछले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

   (घ) छात्र के बैंक खाता के पासबुक की सुस्पष्ट छायाप्रति जिससे नाम एवं खाता संख्या प्रमाणित किया जा सके।

   (च) छात्रों के रजिस्ट्रेशन कार्ड (आर0सी0) की छायाप्रति। नव प्रवेशित छात्र Allotment Letter की प्रति संलग्न करें।

   (छ) समस्त जमा शुल्क के रसीद की छायाप्रति।

   (ज) आय प्रमाण पत्र के समर्थन में रू0 10 / = के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र पिता / माता अथवा अभिभावक द्वारा (जिसमें पैन कार्ड व आधार कार्ड नम्बर अंकित हो) एवं एक शपथ पत्र छात्र द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

   (झ) पिता / माता अथवा अभिभावक के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति तथा छात्र के आधार की छायाप्रति।

उपरोक्त विवरण त्रुटिपूर्ण होने की दशा में छात्र को छात्रवृत्ति का लाभ प्रापत नहीं हो सकेगा, जिसके लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

(सुनील कुमार)
अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप